

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2446 / 2023


दिनांक 21.08.2023

श्री युवराज सिंह (RJ00763), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां को दिनांक 31.08.2023 से 02.09.2023 तक 03 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 30.08.2023 एवं 03.09.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/46/2013/5353

दिनांक 21.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 1159 दिनांक 02.08.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री युवराज सिंह (RJ00763), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां।

  
सहायक रजिस्ट्रार